लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1237

19 सितंबर, 2020 को उत्तर के लिए

'सेल' में दुर्घटनाएं

1237. श्री विजय बघेलः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) द्वारा चलाए जा रहे इस्पात संयंत्रों में औद्योगिक दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) क्या सेल द्वारा चलाए जा रहे इस्पात संयंत्रों में इन दुर्घटनाओं को सूचीबद्ध करने के पश्चात् इन औद्योगिक दुर्घटनाओं से संबंधित कोई विस्तृत वार्षिक या आवधिक रिपोर्ट भी तैयार की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) विगत पांच वर्षों के दौरान भिलाई इस्पात संयंत्र में हुए औद्योगिक हादसों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विगत पांच वर्षों के दौरान भिलाई इस्पात संयंत्र के घायल श्रमिकों और कर्मचारियों को दिए गए मुआवजे और अन्य सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात मंत्री **(श्री धर्मेंद्र प्रधान)**

(क): सेल के संयंत्रों तथा इकाइयों में औद्योगिक दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(ख) और (ग): पिछले वर्ष के दौरान हुई घातक दुर्घटनाओं के लिए सेल द्वारा विस्तृत विश्लेषण किया गया है और इसका विवरण जानकारी के साथ-साथ दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सभी संयंत्रों/इकाइयों में वितरित किया गया है। प्रत्येक दुर्घटना के लिए दुर्घटना के मूल कारण के विश्लेषण के साथ-साथ जाँच की जाती है तथा इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सिफारिश किए गए उपायों को कार्यान्वित किया जाता है। विभिन्न स्तरों पर की गई कार्रवाई की आवधिक समीक्षा की जाती है तथा भविष्य में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इसके निष्कर्षों को अन्य संयंत्रों/इकाइयों के साथ साझा किया जाता है।

(घ): पिछले पांच वर्षों के दौरान भिलाई इस्पात संयंत्र में हुई औद्योगिक दुर्घटनाओं (घातक एवं रिपोर्ट योग्य) का विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

(ङ): सांविधिक प्रावधानों तथा कंपनी की नीतियों/नियमों के अनुसार भिलाई इस्पात संयंत्र के घायल कामगारों तथा कर्मचारियों को दिए गए मुआवजे तथा अन्य सुविधाओं का विवरण निम्नानुसार है:

- कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम/ईएसआई अधिनियम, जो भी लागू हो, के अनुसार स्वाकार्य मुआवजा/लाभ।
- हालांकि यह एक सांविधिक दायित्व नहीं है, तथापि नौकरी के दौरान तथा इसके कारण होने वाली दुर्घटनाओं की वजह से कर्मचारियों की मृत्यु अथवा स्थायी पूर्ण अशक्तता के मामले में पात्र आश्रितों में से एक को अनुकंपा आधारित रोजगार प्रदान करना। कार्यस्थल परिसर के भीतर रोजगार के दौरान (परियोजना कार्य के लिए अनुबंधित कर्मचारियों सहित) तथा इसके कारण होने वाली दुर्घटना की वजह से एक संविदा श्रमिक की मृत्यु के मामले में उसके एक आश्रित को रोजगार दिया जाता है। पिछले 5 वर्षों के दौरान भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा दिवंगत कर्मचारियों/संविदा श्रमिकों (घातक दुर्घटनाओं के कारण) के 14 आश्रितों को रोजगार प्रदान किया गया है।
- भिलाई इस्पात संयंत्र/ईएसआईसी द्वारा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
- क्रमशः पूर्ण स्थायी अशक्तता तथा मृत्यु के मामले में, यदि आश्रितों के लिए रोजगार का विकल्प न चुना गया हो (रोजगार के एवज में) तो पूर्व कर्मचारी/पूर्व कर्मचारी के आश्रितों के लिए कर्मचारी परिवार लाभ योजना (ईएफबीएस) के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जाता है। दिवंगत कर्मचारियों (घातक दुर्घटनाओं के कारण) के पाँच आश्रितों को ईएफबीएस लाभ प्रदान किए गए हैं।
- स्थायी पूर्ण अशक्तता वाले कर्मचारी को कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा योजना (ईडीएलआई) के अंतर्गत लाभ के बराबर राशि प्रदान की जाती है। मृत्यु के मामले में सेल द्वारा सब्सक्राइब की गई ईडीएलआई योजना के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा लाभ प्रदान किया जाता है।

****

अनुलग्नक-I

औद्योगिक दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किए गए उपाय

सेल द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय निम्नानुसार हैं:

i. भिलाई इस्पात संयंत्र में दो वर्षों की अवधि के लिए 'सुरक्षा प्रबंधन परामर्श कार्य' के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति।

ii. दुर्घटनाओं से सीखे गए सबक पर सेफ्टी एलर्ट मैसेज (एसएएम) तैयार करना। आज की तिथि तक जारी किए गए कुल 14 एसएएम निम्नानुसार हैं:

- आर्क वेल्डिंग में सुरक्षा सावधानी
- ग्राइन्डर सुरक्षा
- रख-रखाव के दौरान क्रैन सुरक्षा
- डंपर्स के प्रचालन में सुरक्षा
- भट्टी/ईंधन के तेल के भंडारण एवं रख-रखाव में सुरक्षा
- ट्रांसफार्मर्स/एचवी उपकरण के रख-रखाव संबंधी कार्य के दौरान सुरक्षा
- वैगन ट्रिपलर ड्राइव के संबंध में रख-रखाव कार्य के दौरान सुरक्षा
- लॉकडाउन के बाद की अवधि के लिए प्री-स्टार्ट अप सुरक्षा दिशा-निर्देश
- निम्न वॉल्टेज/लाइटिंग सर्किट्स में काम करने के दौरान सुरक्षा
- नाइट्रोजन श्वासावरोधन (एसफिक्सेशन) के खतरे
- बॉयलर सुरक्षा
- सीट बेल्ट का अनिवार्य प्रयोग एवं गति सीमाओं का पालन करना
- मानक कार्य प्रक्रिया तैयार करने के लिए दिशा-निर्देश
- हाई वोल्टेड (एचवी) लाइन्स, सर्किट्स, केबल आदि पर कार्य करते समय सुरक्षा सावधानियों का पालन

iii. जोखिम वाली प्रक्रियाओं से मानव अरक्षितता को कम करने के लिए नई परियोजनाओं में आधुनिक और नवीनतम प्रौद्योगिकी को अपनाना।

iv. सभी लागू सांविधिक नियमों और विनियमों का अनुपालन।

v. निरंतर आधार पर सुरक्षा प्रबंधन के लिए सुव्यवस्थित दृष्टिकोण पर जोर देना (समय पर अनुपालन और पुनरीक्षा के साथ आंतरिक और बाह्य सुरक्षा जाँच और निरीक्षण)।

vi. सुरक्षा मानकों और दिशा-निर्देशों, एसओपी और एसएमपी (मानक प्रचालन एवं रख-रखाव प्रक्रियाएं), एचआईआरए (खतरे की पहचान एवं जोखिम मूल्यांकन) दस्तावेज आदि का विकास और उनकी आवधिक पुनरीक्षा/अद्यतनीकरण।

vii. बहु एजेंसियों को शामिल करते हुए पूँजीगत मरम्मत/मुख्य ब्रेक डाउन मरम्मतों के दौरान संकटपूर्ण कार्यों के लिए कार्यप्रणाली के प्रोटोकॉल/परमिट का अनुपालन।

viii. संयंत्र के आंगतुकों की सेफ्टी ब्रिफिंग के लिए एक सुरक्षा उत्कृष्ट केन्द्र की स्थापना।

ix. संबंधित कारखाना निरीक्षणालय द्वारा अनुमोदित ऑनसाइट आपातकालीन तैयारी योजना बनाना और आवधिक मॉक ड्रिल का आयोजन।

x. मानक प्रचालन और रख-रखाव, कार्य प्रणाली, सुरक्षित कमीशनिंग प्रक्रिया आदि का अनुपालन।

xi. गेट पास जारी करने से पहले संविदा श्रमिकों को दो दिन का प्रवेश प्रशिक्षण और कार्य स्थल पर कार्य सुरक्षा प्रशिक्षण अनिवार्य करना। संविदा श्रमिकों के लिए जन जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन नियमित रूप से किया जाता है।

xii. संविदा श्रमिकों सहित सभी स्तर के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं के माध्यम से सुरक्षा जागरूकता बढ़ाना।

xiii. चेकलिस्ट के अनुसार सुरक्षा और आग की रोकथाम के लिए निरीक्षण करना और निर्धारित मानदंडों से विचलन को परिसमाप्त करना।

xiv. संविदा श्रमिकों सहित सभी संबंधितों द्वारा कार्य विशिष्ट व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) का उपयोग सुनिश्चित करना।

xv. गैस संभावित क्षेत्रों में ऑडियो विजुअल अलार्म के ऑनलाइन गैस मॉनिटर्स/स्थिर और वहनीय सीओ संकेतक के उपयोग का प्रावधान करना और जागरूकता बढ़ाने के लिए आवधिक गैस सुरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करना।

xvi. आवधिक एनडीटी (गैर विनाशात्मक परीक्षण) द्वारा पाइपलाइनों की स्थिति की जाँच और क्षतिग्रस्त हिस्से के क्लैडिंग/प्रतिस्थापन के संबंध में समय पर कार्रवाई के लिए प्रलेखन।

xvii. रेल और सड़क सुरक्षा, मशीन गार्डिंग, उपयुक्त कार्य प्लेटफार्म और रेलिंग, इल्यूमिनेशन आदि पर आवधिक अभियान/कैंपेन चलाना। सुरक्षा के मानदंडों का उल्लंघन करने वालों की पहचान करने के लिए 'रोको-टोको' अभियान चलाना।

xviii. विशिष्ट स्थानों पर सुरक्षा संकेत, पोस्टर और स्लोगन, करने योग्य और न करने योग्य बातें आदि प्रदर्शित करना। रेल रोड क्रोसिंग पर ऑडियो-विज्यूल अलार्म और सिग्नल का संस्थापन करना।

xix. विभिन्न स्तरों पर सुरक्षा संबंधी कार्य-निष्पादन की आवधिक समीक्षा।

****

<u>अनुलग्नक-II</u>

	वर्ष 2015 से 2019 के दौरान भिलाई इस्पात संयंत्र में हुई औद्योगिक दुर्घटनाओं (घातक+रिपोर्ट योग्य) का विवरण									
	2015		**2016**		**2017**		**2018**		**2019**	
	घातक	**रिपोर्ट योग्य**	**घातक**	**रिपोर्ट योग्य**	**घातक**	**रिपोर्ट योग्य**	**घातक**	**रिपोर्ट योग्य**	**घातक**	**रिपोर्ट योग्य**
दुर्घटनाएं	3	13	3	3	2	3	1	4	1	6
	16		6		5		5		7	
मृत्यु	3		3		2		14		1	

*****